Mरत की राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i)
PART II —Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417] No. 417] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 2003/भाद्र 10, 1925

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 2003/BHADRA 10, 1925

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसचना

मुम्बई, 2 जुलाई, 2003

सं. फेमा 95/2003-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की स्थापना) (संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 698(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग और दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 22/2000–आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की स्थापना) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :—

संक्षिप्त नाथ और प्रारंभ

- 1. (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शास्त्रा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की स्थापना) (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
 - (ii) यह भारत सरकार के सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

विनियमावली में संशोधन

- 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की स्थापना) ' विनियमावली, 2000 में,
 - (1) विनियम 3 में से "अथवा कोई परियोजना कार्यालय" शब्दों को निकाल दिया जाएगा।
 - (2) विनियम 5 में,

(क) शीर्षक में से "अथवा परियोजना कार्यालय" के स्थान पर "कार्यालय" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

नामतः.

(ख) उप विनियम (ii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

- (ii) कोई भी विदेशी कंपनी भारत में परियोजना कार्यालय खोल सकती है बशर्ते कि उसने किसी भारतीय कंपनी से भारत में कोई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ठेका प्राप्त किया हो, और
 - (क) परियोजना का विसपोषण सीधे ही विदेश से आवक प्रेषण द्वारा किया जाता है: अथवा
 - (ख) परियोजना का विस पोषण द्विपादिक अथवा बहुपादिक अंतरराष्ट्रीय विसपोषण एजेंसी द्वारा किया जाता है; अथवा
 - (ग) परियोजना का अनुमोदन किसी उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा किया गया है: अथवा
 - (घ) ठेका देनेवाली भारत में कंपनी अथवा सत्ता को परियोजना के लिए भारत में स्थित किसी सरकारी वित्तीय संस्था अथवा किसी बैंक द्वारा मीयादी ऋण मंजूर किया गया हो।
- (iii) विदेशी कंपनी निम्नलिखित विवरण देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में परियोजना कार्यालय स्थापित किया गया है, को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी;

(क) विदेशी कंपनी का नाम और पता

- (ख) विनियम 5 के खण्ड (ii) में उल्लिखित ठेका देने के पत्र की संदर्भ संख्या और तारीख
- (ग) ठेका की कुल राशि
- (घ) परियोजना कार्यालय का पता और उसका कार्यकाल
- (ङ) शुरू की गई परियोजना का स्वरूप।
- (ग) उपविनियम (iii) निकाल दिया जाएगा।
- (3) विनियम 6 के उपविनियम (ii) के स्थान पर निम्निलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः,
 - "(ii) विनियम 5 के खण्ड (ii) के अंतर्गत परियोजना कार्यालय भारत में खोलने की अनुमित है और ऐसा परियोजना कार्यालय परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित और उसकी आनुषंगिक कार्यकलाप से भिन्न किसी अन्य कार्यकलाप नहीं शरू करेगा अथवा उसका कार्यान्वयन नहीं करेगा।"
- (4) फार्म एफएनसी-1 में
 - (क) पैरा ख की मद (iii) निकाल दी जाएगी।
 - (ख) खण्ड 5 निकाल दिया जाएगा और खण्ड 6 को नंबर 5 कर दिया जाएगा।

[फा. सं. 1/23/ईसी/2000-खण्ड-II] उषा थोरात, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd July, 2003

No. FEMA 95/2003-RB

Foreign Exchange Management (Establishment in India of branch or office or other place of business) (Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 698(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 6 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 22/2000-RB dated 3rd May, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or other place of Business) Regulations, 2000, namely:—

Short title and commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or other Place of Business), (Amendment) Regulations, 2003.
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette of Government of India.

Amendment to the Regulations:

- In the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Office or other Place of Business) Regulations 2000,
 - (1) in Regulation 3, the words, "or a Project Office" shall be deleted.
 - (2) in Regulation 5,
 - (a) in the heading, for the words, "or Project Office etc.," the word "office" shall be substituted.
 - (b) for sub-regulation (ii), the following clause shall be substituted, namely:
 - (ii) A foreign Company may open a Project Office/s in India provided it has secured from an Indian company, a contract to execute a project in India, and
 - the project is funded directly by inward remittance from abroad; or
 - (b) the project is funded by a bilateral or multilateral international Financing Agency; or
 - (c) the project has been cleared by an appropriate authority; or

- (d) a company or entity in India awarding the contract has been granted Term Loan by a Public Financial Institution or a bank in India for the project.
- (iii) The Foreign Company shall furnish a report to the concerned Regional Office of Reserve Bank of India under whose jurisdiction the Project Office is set up, giving details as under:
 - (a) Name and address of the foreign company
 - (b) Reference No. and date of letter awarding the contract referred to in clause (ii) of Regulation 5
 - (c) Total amount of contract
 - (d) Address and tenure of Project Office
 - (e) Nature of Project undertaken.
- (c) the sub-regulation (iii) shall be deleted.
- in Regulation 6, for sub-regulation (ii), the following sub-regulation shall be substituted, namely:
 - "(ii) Opening of Project Office under clause (ii) of Regulation 5 is permitted in India and such project office shall not undertake or carry on any other activity other than the activity relating and incidental to execution of the project.
- (4) in Form FNC-1,
 - (a) in para B, the item (iii) shall be deleted.
 - (b) Ciause 5 shall be deleted and Clause 6 shall be re-numbered as 5.

[F. No. 1/23/EC/2000-Vol.-II]
USHA THORAT, Executive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 2 जुलाई, 2003

सं. फेमा 96/2003~आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 699(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 13/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (i) यह विनियमावली विदेशी "विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली २००३" कहलाएगी।

(ii) यह भारत सरकार के सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

विनिचयावली में संशोधन

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) विनियमावली, 2000 के विनियम 6 के उपविनियम (1) के खण्ड (iii) में "शाखा/उसके किसी कार्यालय" के बाद कोष्टक(ब्रैकेट) समेत "(परियोजना कार्यालय के सिवाय)" शब्द जाड़े जाएंगे।

[फा. सं. 1/23/ईसी/2000-खण्ड-][] उषा थोरात, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION.

Mumbai, the 2nd July, 2003

No. FEMA 96/2003-RB

Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 699(E).—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 13/2000-RB dated 3rd May, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2000, namely:—

Short title and commencement

- (i) These Regulations may be called the "Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Amendment) Regulations, 2003".
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette of Government of India.

Amendment to the Regulations

2. In the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2000, in regulation 6, in sub-regulation (1), in clause (iii), after the words, "branch/office", the bracket & words, "(other than project office)" shall be inserted.

[F. No. 1/23/EC/2000-Vol.-II]
USHATHORAT, Executive Director